OFFICE OF THE

DIVISIONAL COMMISSIONER PRAYAGRAJ

Letter No. 765 /26-01-2019 Date : 19 .12.2019

To,

Registrar General,
Hon'ble National Green Tribunal,
New Delhi.

Sub : Submission of report in IA No. 79/2019 in Original Application No. 186/2019, Jagriti Sansthan Verses State of Uttar Pradesh & Others. Report on the directions of the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi dated 25.09.2019.

Dear sir,

In compliance of this Hon'ble Tribunal order dated 25.09.2019 passed on IA No. 79/2019 in Original Application No. 186/2019 Jagriti Sansthan Verses State of Uttar Pradesh & Others the required information is hereby submitted for your kind perusal.

Enclosed : As above.

(Ashish Kumar Goel)
Divisional Commissioner,
Prayagraj.

Report in IA No. 79/2019 In Original Application No. 186/2019 Jagriti Sansthan Versus State of Uttar Pradesh & Others in compliance ofOrder of the Hon'ble National Green Tribunal Principal Bench, New Delhi Dated 25.09.2019.

Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi has passed an order dated 25.09.2019 in the Original Application No. 186/2019 Jagriti Sansthan Versus State of Uttar Pradesh & Others to prepare Joint Remedial Action Plan in the matter and take action by way of stopping/regulating illegal activities, initiate necessary punitive action and recover the compensation on Polluter Pays Principle and further directed the Divisional Commissioner, Allahabad, District Commissioner, Allahabad and State Pollution Control Board to furnish the action which has been taken and also provide the report within 02 months by email at judical-ngt@gov.in.

After perusing the order of the Hon'ble National Green Tribunal, the District Magistrate, Prayagraj has constituted a committee comprising of Sub Divisional Magistrate (Bara), Prayagraj, Circle Officer(Police) Bara, Senior Mining Officer, Prayagraj, Regional Officer U.P.P.C.B., Prayagraj & Officer Incharge,

CGWB, Prayagraj to comply the Order of the Hon'ble National Green Tribunal. **(Annexure No-01)**

The said order of NGT was produced before the undersigned on 15.10.2019. Immediately a meeting of concerned Officers was called on 22.10.2019. Copy of the Minutes is hereby Annexed as **(Annexure No-02)**

For compliance of the order of the Hon'ble National Green Tribunal a Joint Remedial Action Plan has been prepared and action taken report has also been called from concerned officials. For kind perusal of Hon'ble National Green Tribunal the Action taken report against the Action Plan is reproduced below for kind consideration:-

S.No.	Remedial Action Plan	Action Taken Report
1	Central Ground Water Authority has Declared Shankargarh Area as Safe Water Zone, it is desirable to evaluate real status of ground water in the area of Shankargarh Block.	The Regional Director, C.G.W.B., N.R., Bhujal Bhawan, Lucknow (UP) vide his letter No. 4(237NGT)/ CGWB/ NR/S&I/2019/3656, Dated 17.12.2019 intimated Regional Officer of U.P.P.C.B., Prayagraj that:- (a) The present stage of ground water development

		estimated is 44.79% and block has been categorized as "Safe". Even if withdrawal figures for drinking and industrial uses which are about 12% are increased, thus the categorization will not change. This block being underlain by hard rock, has ground water sustainability and uniform availability issues which is different from categorization of assessment unit. (b) The estimation has been approved and vetted by State Level Committee andthe Central Level Expert Group. Same has been accepted by Ministry of Jal Shakti. (c) In view of above, it is stated

		that the estimation in respect of Shankargarh Block is correct and cannot be revised or reviewed.**(Annexure No-03)** Chairman, Central Ground Water Authority vide letter no. 26-1/CGWA/PN/2018, Dated 15-10-2019 issued public notice that "Without prejudice to the directions of Hon'ble NGT, New Delhi under its Judgment/Orders dated 11.09.2019 under O.A. No. 176/2015 and the outcome of the pending matters in Hon'ble NGT, New Delhi, the due date for submission of applications for grant of 'No Objection Certificate' (NOC) for Ground Water withdrawal through NOCAP portal of CGWA is hereby extended upto

		31.03.2020.**(Annexure No-04)** It is further relevant to state here that during discussion in the meeting on 17.12.2019 it came to the notice that situation of Ground Water in Shankargarh Block is very alarming. It appears that report of C.G.W.B. is not realistic and it seems that reassessment of ground water availability is necessary in Shankargarh Block. Chief Development Officer, Prayagraj is directed to give comparative data so that a proposal can be sent to C.G.W.B..
2	Completely close down illegal Washing Plants and ensure that the illegal washing plant units should not be operated again without requisite	It is relevant to state here that out of 71 illegal Silica Sand Units as reported earlier by NGT Committee, an inspection was made on 15.12.2019 and it has been found that 01 unit

	NOC/Permission and ensure recovery of Imposed Royalty.	namely M/s Vijay Bahadur Singh (M/s Anupam Enterprises), Shankargarh, Bara, Prayagraj has been given consent by U.P.P.C.B. and as per inspection report **(Annexed as Annexure No-05)** remaining all 70 illegal washing plant units are closed. It has further been informed that no illegal Washing Plant Units are running in the area. The committee constituted by the District Magistrate, has been directed to ensure that no illegal Washing Plant Units should run without taking legal permission from concerned authority. They are also directed to visit the site regularly to ensure the compliance of the order of the Hon'ble National Green

		Tribunal. Committee visited the site and submitted a report **(already annexed as annexure No-05)** that illegal Washing Plant Units are not running at present. Committee has been further directed to visit regularly the site and to ensure that no illegal washing plants are running.
3	Regular checking of units to ensure that units are not operating without permission and to ensure safety and welfare measures for workers as an apprehension of silicosis disease and possibility of accidents.	Committee visited the site and submitted a report **(already annexed as annexure No-05)** that illegal Washing Plant Units are not running at present. Committee has been further directed to visit regularly the site and to ensure that no illegal washing plants are running. Deputy Labour Commissioner has submitted a report on 18.12.2019 stating

		therein **(Annexed as Annexure No-06)** that his team visited on 13.12.2019, 16.12.2019 and 17.12.2019 to all 13 units and out of which 10 units were found not working. It is further stated that no workers were found working in these 10 units. Some workers are found in 03 units namely M/s Shubash Chandra Mines, M/s Modi Minerals Udyog & M/s Allahabad Sands. It was found that M/s Shubash Chandra has provided safety equipments but workers are not being paid minimum wages and therefore a show cause notice has been issued to the concerned Employer. M/s Modi Minerals Udyog and M/s Allahabad Sands are not providing any safety equipments to their

		workers and also not paying minimum wage to their workers. Show cause notice against the aforesaid employers has also been issued and necessary action will be taken against them in accordance with law. It is further stated that the Deputy Labour Commissioner has also been directed to take immediate appropriate action against the aforesaid person for not complying the guidelines of Labour Rules.
4	U.P.P.C.B. shall not grant the consent to operate the units without having valid permission from C.G.W.A. and Mining Department. To Restore land of closed illegal Silica Washing Plants in Shankargarh area.	Regional Officer, U.P.P.C.B., Prayagraj has submitted a report dated 17.12.2019 **(Annexed as Annexure No-07)** that no consent will be given without obtaining NOC from C.G.W.A. and Mining Department. Regional Officer,

		U.P.P.C.B., Prayagraj further directed to ensure the compliance of the order of the Hon'ble National Green Tribunal in letter and spirit.
5	Washing Plant Units does not have any valid license from Mining Department for storage of silica sand. To ensure that no silica washing plant unit can run without storage permission if storage is more than 100 cubic meter.	Senior Mining Officer, Prayagraj has made an Inspection on 15.12.2019/16.12.2019 and submitted its report on 16.12.2018 **(Annexed as Annexure No-08)** that no illegal units of silica sand having storage of more than 100 cubic meters of silica sand is running at present. It is further relevant to mention here that the License granted by Mining Department is only required for those units who has stored more than 100 cubic meters of silica sand. Senior Mining Officer,

		Prayagraj has further been directed to ensure the strict compliance of the order of Hon'ble National Green Tribunal. It is further directed to the Senior Mining Officer, Prayagraj to inspect and submit his report regarding rest 13 Silica Washing Plant Units.
6	Initiate necessary punitive action and to recover compensation from polluting silica washing units by issuing recovery certificates.	Regional Officer, U.P.P.C.B., Prayagraj has submitted report dated 15.12.2019 **(already Annexed as Annexure No-05)** stating that all illegal 70 units are closed. It is further stated that in respect of 61 units environmental compensation has been imposed in the month of August, 2019 by permission of competent authority @ 7.25 lacs per unit. However, with regard to the 9

		units no proceedings for issuing environmental compensation has been taken place as they have already been found closed. After imposition of compensation to the aforesaid 61 units, applicants appeared in Original Application No. 186/2019 before the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi. The Hon'ble National Green Tribunal has passed an order dated 23.10.2019 in I.A. No. 655/2019 which is quoted as under :- "This application has been preferred in substance against order requiring the applicant to pay compensation of Rs. 7.25 lakhs. Since the order in question is appealable, we permit the application to be

		withdrawn without prejudice to an appropriate remedy of the applicant in accordance with law". Regional Officer, U.P.P.C.B., Prayagraj in his report stated that all 61 units has not deposited the imposed amount @ 7.25 lacs, so notices have been issued to all 61 concerned units for the disposal of their representation and 19.12.2019 and 20.12.2019 has been fixed for hearing and after hearing the parties the necessary action shall be taken.

The next meeting to review the compliance of the above instructions has been fixed for 20.12.2019 at 5 P.M. The report is being submitted for kind perusal of the Hon'ble National Green Tribunal in compliance of the order dated 25.09.2019.

Enclosure 01 to 08

19/12/19.

(Ashish Kumar Goel)
Divisional Commissioner,
Prayagraj.

ANNEXURE - 01

कार्यालय जिलाधिकारी, प्रयागराज

6018 6:7 / ओ०ए०नं० - 186/2019 दि०- 05/10/2019

1. उपजिलाधिकारी,
   बारा, प्रयागराज।
2. क्षेत्राधिकारी (पुलिस)
   बारा, प्रयागराज।
3. ज्येष्ठ खान अधिकारी
   प्रयागराज।
4. क्षेत्रीय अधिकारी
   उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   प्रयागराज।
5. कार्यालय प्रभारी केन्द्रीय भू-जल बोर्ड,
   स्टेट यूनिट आफिस 276 चकिया,
   कौशाम्बी रोड, प्रयागराज।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 नं0 186/2019 आई0 ए0 नं0 79/2019 जागृति संस्थान बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में दिनॉक 25.09.19 में पारित आदेश के संबंध में।

ओ0ए0 नं0 186/2019 आई0 ए0 नं0 79/2019 जागृति संस्थान बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य में दिनॉक 25.09.19 को पारित आदेश का मुख्यांश यह है:-

"In view of the above, large scale and blatant violation of law is shown. Since effective environmental governance is inalienable function of the State to protect the environment and right s of the citizens, we direct the Divisional Commissioner Allahabad, District Commissioner, Allahabad and State PCB to forthwith prepare a joint remedial action plan in the matter and take action by way of stopping/regulating illegal activities, initiate necessary punitive action and recover compensation on Polluter Pays principle. The action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in."

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के अनुपालन में शंकरगढ़ क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित सिलिका वाशिंग प्लाटों की जॉच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या अधोहस्ताक्षरी को डेढ़ माह के अंदर प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

04/10/19

(भानु चन्द्र गोस्वामी)
जिलाधिकारी,
प्रयागराज।

E-SUNIL STENO/RO/DM ALLD

ANNEXURE-02

Original Application No. 186/2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य मामले में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 अनुपालन में दिनांक 22.10.2019 को मण्डलायुक्त प्रयागराज की अध्यक्षता में गांधी सभागार आयोजित बैठक का

<u>कार्यवृत्त</u>

बैठक में उपस्थिति—

1. डा0 आशीष कुमार गोयल,
   मण्डलायुक्त, प्रयागराज

बैठक में उपस्थित अन्य अधिकारीगण—

1. श्री विजय शंकर दुबे,
   अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी (खनिज), प्रयागराज।
2. श्री जे0बी0 सिंह,
   क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
3. डा0 एम0एन0 खान
   केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
4. श्री सन्त लाल, साईंटिस्ट 'डी'
   केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, लखनऊ।
5. डा0 विजय कुमार मौर्य,
   क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज।
6. श्री इन्द्रमान तिवारी,
   उपजिलाधिकारी, बारा प्रयागराज।
7. श्री आशीष द्विवेदी,
   खान निरीक्षक, प्रयागराज।

माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 186/2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनाँक 25.09.2019

"In view of the above, large scale and blatant violation of law in shown. Sinc effective environmental governance is inalienable function of the State of protect th environment and rights of the citizens, we direct the Divisional Commissioner Allahaba District Commissioner, allahabad and State PCB to forthwith prepare a joint remedi action plan in the matter and take action by way of stopping/regulating illegal activitie initiate necessary punitive action and recover compensation on Polluter Pays principl The action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicia ngt@gov.in." के अनुपालन के संबंध में अपर आयुक्त महोदय (प्रथम), प्रयागराज मण्डल प्रयागराज द्वारा अपने पत्र सं0 39-44/26-01-2019 दिनाँक 15.10.19 द्वारा प्रेषित सूचना अनुसार: दिनाँक 22.10.2019 को मध्यान्ह 12:00 बजे आयुक्त महोदय के कार्यालय में बैठ प्रस्तावित की गयी है। सूचनानुसार आयुक्त महोदय की उपस्थिति में बैठक आयोजित हुई।

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज द्वारा आयुक्त महोदय व अवगत कराया गया कि जागृति संस्थान द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में शंकरगढ़ क्षेत्र में सिलिक वाशिंग इकाईयों द्वारा भूजल दोहन की शिकायत की गयी, शिकायत का संज्ञान लेते हुए म

एन०जी०टी० ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण एवं उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम का गठन करते हुए शंकरगढ़ क्षेत्र में स्थापित सिलिका वाशिंग प्लाण्ट इकाईयों के जांच के आदेश दिये। समिति द्वारा दिनांक 02.04.19 एवं 03.04.19 को उक्त क्षेत्र का निरीक्षण किया गया एवं आख्या मा० न्यायालय में दाखिल की गयी। मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.19 को क्षेत्र में स्थापित अवैध सिलिका वाशिंग प्लाण्ट इकाईयों के विरूद्ध जांच कर कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया। मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में समिति द्वारा पुनः शंकरगढ़ क्षेत्र का निरिक्षण दिनांक *01 से 03 जुलाई 2019* को किया गया, जिसमें 71 सिलिका वाशिंग प्लाण्ट इकाईयाँ अवैध पायी गयी। अवैध सिलिका वाशिंग प्लाण्ट इकाईयों को उपजिलाधिकारी बार, क्षेत्राधिकारी (पुलिस), बारा एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बंद करा दिया गया। 61 अवैध सिलिका वाशिंग प्लाण्ट इकाईयों के विरूद्ध प्रत्येक इकाई पर रू० 7,25,000.00 की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी।

1. दिनांक 25.09.19 को मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शंकरगढ़ क्षेत्र में भूजल स्तर के संदर्भ में केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के उपस्थित प्रतिनिधि डा० एम०एन० खान द्वारा जानकारी दी गयी कि गर्मी के दिनों में शंकरगढ़ क्षे में सप्लाई टैंकरों के माध्यम से की जाती है। भूजल की वास्तविक स्थिति, जल का स्तर, जल का भण्डारण कम होने के कारण, भू-विभाग द्वारा किया गया श्रेणी-करण जो वर्तमान में सुरक्षित श्रेणी बताया गया सही नहीं प्रतीत होता है। इसलिए इसका पुनः आकलन वहाँ की भौगोलिक एवं वास्तविक स्थिति को देखते हुए कराया जाना वांछित है।
2. अवैध सिलिका वाशिंग प्लाण्ट इकाईयाँ, जो बंद कराये गये हैं, बंद है वह पुनः संचालित न होने पाये। इस संबंध में कड़ी निगरानी करके कार्यवाही की जाए एवं इन इकाईयों से पूर्व में अधिरोपित रायल्टी की वसूली सुनिश्चित की जाय।
3. समिति की आख्यानुसार 12 सिलिका वाशिंग प्लाण्ट संचालित हैं एवं सहमति प्राप्त हैं/आवेदित हैं, उनकी सघन जांच कर यह सुनिश्चित किया जाए कि वह मानकों के विपरीत संचालित न हो। क्षेत्र के श्रमिकों के स्वास्थ्य के विषय में उपजिलाधिकारी, बारा द्वारा बताया गया कि श्रमिकों को क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना करना पड़ता है, केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण के प्रतिनिधि डा० एम०एन० खान द्वारा बताया गया कि सिलिका सैण्ड वाशिंग प्रक्रिया में क्योरिंग, क्रशिंग एवं वाशिंग होती है, जिससे सिलिका डस्ट जनित होता है, जो श्रमिकों के फेफड़ों में सिलकोसिस बीमारी की समस्या का कारक होता है, इस हेतु श्रमिकों को सेफ्टी मास्क, बूट सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी सुविधा मुहैया कराया जाए एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की जाए। श्रम विभाग द्वारा इस पर निगरानी की जाय।
4. मा० न्यायालय द्वारा उपरोक्त पारित आदेश दिनांक 25.09.2019 के अनुपालन में जिलाधिकारी द्वारा 5 सदस्यीय समिति का गठन अपने पत्रांक जी01867/ओ०ए० सं01. 85-2019 दिनांक 05.10.2019 के माध्यम से किया गया है, उपश्रम आयुक्त को समिति में शामिल किया जाए, जिससे श्रमिकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान हो सके।
5. शंकरगढ़ क्षेत्र में पूर्व सहमति प्रदान संचालित इकाईयों को तभी सहमति प्रदान की जाए जब वह शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। अवैध सिलिका वाशिंग प्लाण्टों की बंद इकाईयों के सम्बन्ध में भूमि के <u>Restoration</u> की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जाए।
6. मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 25.09.2019 के प्रस्तर-7 में खनन विभाग द्वारा कोई भण्डारण अनुज्ञप्ति नहीं लिया गया का उल्लेख किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सिलिका वॉशिंग प्लान्ट पर 100 घनमीटर से अधिक सिलिका सैण्ड भण्डारित करता है तो भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी अगर 100 घनमीटर से कम करता है तो भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है। उक्त प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, व्यापार कर एवं खनन विभाग द्वारा निरन्तर निगरानी की जायेगी कि अवैध रूप से भण्डारण तो नही हो रहा है।

7. मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसमें अवैध सिलिका वाशिंग प्लान्टों को पर्यावरणी क्षतिपूर्ति जमा किये जाने एवं वसूली के संबंध में है, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड संबंधित इकाईयों के विरूद्ध आर0सी0 जारी करने की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

माननीय एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायें।

(आशीष कुमार गोयल)
मण्डलायुक्त, प्रयागराज।

कार्यालय आयुक्त, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।

पत्रांक: 3671 (10) कार्यवृत्त / 2019–20 दिनांक: 16-11-20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, प्रयागराज।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त (प्रथम), प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
4. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज।
6. उपजिलाधिकारी, बारा, प्रयागराज।
7. क्षेत्राधिकारी, बारा, प्रयागराज।
8. ज्येष्ठ खान अधिकारी, प्रयागराज।
9. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
10. समस्त संबंधित अधिकारीगण को अनुपालनार्थ।

16/11/19

अपर आयुक्त (प्रथम)
प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज

ANNEXURE-03

SPEED-POST
No. 4 (237NGT)/CGWB/NR/S&I/2019/3 6 5 6
Government of India
Central Ground Water Board, NR
Bhujal Bhawan, Sector-B,
Sitapur Road Yojana,
Lucknow (U.P.)-226021

Dated: 1 [illegible] 2019

To,

The Regional Officer
Uttar Pradesh Pollution Control Board
Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10
Scheme No. 3, Jhunsi
Prayagraj-221506

Sub: - NGT order dated 25.09.2019 in the matter of OA No. 186/2019 Jagriti Sansthan v/s Govt. of U.P.

Sir,

In reference to your letter cited above, it is to inform that-

1. The Ground water resource estimation was carried out on the basis of approved methodology "Ground Water Estimation Committee (GIC) 2015" with block as assessment unit.
2. There may be some local deviations from overall ground water conditions in the block, which is not the true representation of overall ground water conditions prevailing in the block.
3. The present stage of ground water development estimated is 44.79% and block has been categorized as "Safe". Even if withdrawal figures for drinking and industrial uses which are about 12% are increased, thus the categorization will not change. This block being underlain by hard rock, has ground water sustainability and uniform availability issues which is different from categorization of assessment unit.
4. The estimation has been approved and vetted by State Level Committee and the Central Level Expert Group. Same has been accepted by Ministry of Jal Shakti.
5. In view of above, it is stated that the estimation in respect of Shankargarh Block is correct and cannot be revised or reviewed.

Yours faithfully

YBKaushik

(Y.B. Kaushik)
Regional Director

Copy for information to:

1. District Magistrate, District Prayagraj.
2. Additional District Magistrate (First), District Prayagraj
3. Officer Incharge, Central Ground Water Board, State Unit Office, 276 Chakia, Kaushambi Road, Prayagraj-211016 (U.P.)

(Y.B. Kaushik)
Regional Director

ANNEXURE-04

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF JAL SHAKTHI
DEPARTMENT OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION
CENTRAL GROUND WATER AUTHORITY
[Constituted under section 3(3) of Environment (Protection) Act, 1986]

No. 26-1/CGWA/PN/2018 Dated 15.10.2019

PUBLIC NOTICE

SUB: ATTENTION OF ALL EXISTING GROUND WATER USERS INCLUDING INDUSTRIAL, INFRASTRUCTURE AND MINING PROJECTS.

Without prejudice to the directions of Hon'ble NGT, New Delhi under its Judgment/orders dated 11.09.2019 under OA No. 176/2015 and the outcome of the pending matters in Hon'ble NGT, New Delhi, the due date for submission of applications for grant of 'No Objection Certificate' (NOC) for Ground Water withdrawal through NOCAP portal of CGWA is hereby extended upto 31.03.2020.

All the users drawing ground water without a valid NOC from CGWA are directed to submit their applications for NOC online through NOCAP portal of CGWA by or before the said date. Industrial, Infrastructure and Mining projects withdrawing ground water without a valid NOC or failing to apply for NOC by or before the said date shall be liable to pay Fine as wells as Environmental Compensation/Damages to be decided by Hon'ble NGT, New Delhi as per Law.

The detailed directions, existing guidelines etc., are available on the web link: www.cgwa-noc.gov.in/Landing Page/Ground Water .htm / cgwb.gov.in .

(K.C.NAIK)
CHAIRMAN
15.10.2019

ANNEXURE-05

Origional Application No. 186/2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के मामले में माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.09.2019 के अनुपालन में दिनॉक 12.12.19 को मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त के बिन्दु सं0–3 की अनुपालन आख्या :–

मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज की अध्यक्षता में दिनॉक 12.12.19 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का बिन्दु सं0 3 निम्नवत् है:–

"शंकरगढ़ क्षेत्र में स्थापित समस्त सिलिका वाशिंग इकाईयों का निरीक्षण जिलाधिकारी, प्रयागराज द्वारा गठित 5 सदस्यीय समिति द्वारा भी कर लिया जाए एवं अगली बैठक दिनॉक 17.12.2019 में निरीक्षण आख्या प्रस्तुत की जाए"

उपरोक्त के अनुपालन में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा ओ0ए0 संख्या 186/2019 जागृति सेवा संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 25.09.2019 के अनुपालन में अवैध रूप से संचालित सिलिका वाशिंग प्लाटों की जॉच कर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। सुनिश्चित कराये जाने हेतु मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज की अध्यक्षता में दिनॉक 22.10.19 को सम्पन्न बैठक में निर्देशित किया गया था कि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए उक्त समिति में उपश्रमायुक्त, प्रयागराज को भी सम्मिलित किया जाए, जिसके अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज के पत्र सं0 जी02046/ओ ए0सं0 186/2019 दिनॉक 07.11.19 द्वारा उपश्रमायुक्त प्रयागराज को समिति में सम्मिलित किये जाने की सूचना प्रेषित की जा चुकी है।

मण्डलायुक्त महोदय, प्रयागराज मण्डल प्रयागराज की अध्यक्षता में दिनॉक 12.12.19 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त का बिन्दु सं0 3 के अनुपालन में शंकरगढ़ क्षेत्र स्थित 71 अवैध सिलिका वाशिंग इकाईयों का निरीक्षण समिति के सदस्यों द्वारा दिनॉक 15.12.19 को किया गया। उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज द्वारा अवगत कराया गया कि 71 अवैध सिलिका वाशिंग इकाईयों में से 01 सिलिका वाशिंग ***इकाई मेसर्स विजय बहादुर सिंह (मेसर्स अनुपम इण्टर प्राईजेज), शंकरगढ़, बारा, प्रयागराज*** पूर्व से ही सहमति प्राप्त कर संचालित की जा रही है। मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों से गठित समिति द्वारा उक्त इकाई को अवैध सिलिका वाशिंग इकाई की सूची में त्रुटिवश सम्मिलित किया गया है, जिसकी सूचना उपजिलाधिकारी बारा, प्रयागराज को प्रेषित की जा चुकी है। शेष 70 अवैध सिलिका वाशिंग इकाईयों का समिति द्वारा दिनॉक 15.12.19 को किये गये निरीक्षण का विवरण निम्नवत् है:–

क0 सं0	उद्योग का नाम	निरीक्षण के समय इकाई संचालन/बंद की स्थिति	टिप्पणी
1.	मेसर्स भक्कू महराज (सिलिका वाशिंग प्लांट), शिवराजपुर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
2.	मेसर्स शम्भू प्रसाद गुप्ता (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
3.	मेसर्स बबलू प्रधान (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को डिफन्ट दर्शाया गया है।
4.	मेसर्स नीरज गुप्ता (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
5.	मेसर्स अशोक सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।

6.	मेसर्स रोहित वार्ष्णेय (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
7.	मेसर्स विजय सिंह पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट यूनिट–1), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
8.	मेसर्स विजय सिंह पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट यूनिट–2), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
9.	मेसर्स नीरज गुप्ता (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
10.	मेसर्स मथुरा गुप्ता (सिलिका वाशिंग प्लांट), गढ़वा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
11.	मेसर्स अशोक सिंह (गोरेलाल) (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी मौजा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को 02 वर्षों से बंद दर्शाया गया है।
12.	मेसर्स बलेश सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी मौजा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
13.	मेसर्स जगतपाल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी मौजा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
14.	मेसर्स महेन्द्र सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी मौजा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
15.	मेसर्स रत्नेश सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा लालापुर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
16.	मेसर्स लल्लू सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा लालापुर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
17.	मेसर्स बुलबुल सिंह, प्रधान (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
18.	मेसर्स सूर्य प्रकाश केसरवानी वकील साहह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	उपरोक्त इकाई सूर्य प्रकाश केसरवानी की नहीं है।
19.	मेसर्स चन्द्र प्रकाश केसरवानी, वकील साहब (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
20.	मेसर्स नारायण इण्टरप्राईजेज (सिलिका वाशिंग प्लांट), कचरी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को बंद दर्शाया गया है।

21.	मेसर्स शेर बहादुर सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), लखनौटी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
22.	मेसर्स राज कुमार सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), लखनौटी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
23.	मेसर्स श्री पाल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), लखनौटी, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
24.	मेसर्स नवल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), तकतई जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	—	निरीक्षण के समय उपरोक्त इकाई डिस्मेंटल पायी गयी।
25.	मेसर्स संतोष कोल (सिलिका वाशिंग प्लांट), तकतई जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	—	संतोष कोल के नाम से कोई सिलिका वाशिंग इकाई नहीं पायी गयी।
26.	मेसर्स बोधन यादव (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
27.	मेसर्स नत्थू प्रजापति (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
28.	मेसर्स रमेश मिश्रा (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
29.	मेसर्स नत्थू यादव (सिलिका वाशिंग प्लांट),ग्राम जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
30.	मेसर्स कौशल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
31.	मेसर्स सुनील सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवॉ, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
32.	मेसर्स भुल्ली महाराज (सिलिका वाशिंग प्लांट), ग्राम जनवा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
33.	मेसर्स चौबे जी (सिलिका वाशिंग प्लांट), तकतई, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
34.	मेसर्स कमलेश सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), आम गोधर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
35.	मेसर्स मुन्नु सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), आम गोधर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
36.	मेसर्स भानू प्रताप सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट),लेथर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।

37.	मेसर्स गुलाब सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को नाट आपरेशनल दर्शाया गया है।
38.	मेसर्स गंगा तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
39.	मेसर्स गंगा शुक्ला (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
40.	मेसर्स विवेक तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को डिफन्ट दर्शाया गया है।
41.	मेसर्स अमरनाथ तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को डिफन्ट दर्शाया गया है।
42.	मेसर्स प्रवीन तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), पचासा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
43.	मेसर्स शिवदानी (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया मोड़, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
44.	मेसर्स दिलीप सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
45.	मेसर्स शशांकधर द्विवेदी (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
46.	मेसर्स अर्जुन शुक्ला (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
47.	मेसर्स मनोज तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
48.	मेसर्स दिलीप तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट), बिहरिया, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
49.	मेसर्स अवध बिहारी तिवारी (सिलिका वाशिंग प्लांट),बिहरिया, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
50.	मेसर्स विजय बहादुर पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट), हराही, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
51.	मेसर्स पुष्पा पाल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), हराही, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति

			अधिरोपित है।
52.	मेसर्स पदमाकर सिंह/प्रभाकर सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), हराही, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
53.	मेसर्स प्रभाकर सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), हराही, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
54.	मेसर्स चन्द्र प्रकाश सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
55.	मेसर्स छत्रपाल (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
56.	मेसर्स राम बहादुर (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
57.	मेसर्स राजेन्द्र सिंह पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
58.	मेसर्स हजारी पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
59.	मेसर्स समर बहादुर (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
60.	मेसर्स भईया लाल पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
61.	मेसर्स बड़े लाल पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को डिफन्ट दर्शाया गया है।
62.	अननोन	बंद	—
63.	मेसर्स लालजी सिंह पटेल (सिलिका वाशिंग प्लांट), गाढ़ा कटरा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
64.	मेसर्स कौशल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
65.	मेसर्स चन्दन सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
66.	मेसर्स जगतपाल सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
67.	मेसर्स भनवार सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट),	बंद	रू0 7.25 लाख की

	गौलैहा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज		पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
68.	मेसर्स संतोष सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), गौलैहा, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
69.	मेसर्स जीतू गुप्ता (सिलिका वाशिंग प्लांट), शिवराजपुर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	रू0 7.25 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित है।
70.	मेसर्स पप्पू सिंह (सिलिका वाशिंग प्लांट), शिवराजपुर, शंकरगढ़ बारा, प्रयागराज	बंद	मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों में गठित समिति द्वारा भी इकाई को 01 वर्ष बंद दर्शाया गया है।

उपरोक्त 70 अवैध सिलिका वाशिंग इकाईयों के अतिरिक्त मा0 एनजीटी के आदेशों में गठित समिति द्वारा चिन्हित किये गये 83 सिलिका वाशिंग इकाईयों में से शेष 13 इकाईयों का भी निरीक्षण किया गया, जो निरीक्षण के समय संचालित नहीं पाये गये।

उपरोक्त अनुपालन आख्या सादर प्रस्तुत है।

वैज्ञानिक 'डी'
केन्द्रीय भूगर्भ जल बोर्ड, प्रयागराज।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज।

क्षेत्रीय अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, प्रयागराज।

पुलिस क्षेत्राधिकारी,
बारा, प्रयागराज।

उपजिलाधिकारी,
बारा, प्रयागराज।

E:\Sunil Kumar-Steno\ro\without pad/lab

ANNEXURE-06

प्रेषक,

उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0

प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज।

सेवा में,

अपर आयुक्त (प्रथम)

प्रयागराज।

पत्रांक– 10540-42/इलाप्र–उ0श्र0शि0/19 दिनांक–18/12/2019

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या–743(II)/एन0जी0टी0–2019–20 दिनांक–14.12.2019 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मूल प्रार्थना पत्र संख्या–186/2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेश दिनांक–25.09.2019 के अनुपालन में दिनांक–12.12.2019 को मण्डलायुक्त, प्रयागराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक के कार्यवृत्त पर कार्यवाही/अनुपालन आख्या के आदेश दिए गए हैं।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक–17.12.2019 को मण्डलायुक्त महोदय की अध्यक्षता में आहूत बैठक में दिए गए निर्देश का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें तथा अनुपालन आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

18/12/19

(राकेश द्विवेदी)
उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0
प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज।

पत्रांक– /उक्त दिनांक–18.12.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रयागराज।
2. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) प्रयागराज।

(राकेश द्विवेदी)
उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0
प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज।

अनुपालन आख्या

मूल प्रार्थना पत्र संख्या–186/2019 जागृति संस्थान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक–25.09.2019 के अनुपालन में दिनांक–12.12.2019 तथा दिनांक–17.12.2019 को मण्डलायुक्त, प्रयागराज की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दिए गए अनुपालन आख्या निम्नवत् है:

1. मण्डलायुक्त महोदय द्वारा शंकरगढ़ क्षेत्र में चल रही 13 सिलिका वाशिंग इकाईयों में नियोजित श्रमिकों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या–10660–69 दिनांक–12.12.2019 के माध्यम से 05 अधिकारियों की टीम बनाकर सिलिका वाशिंग इकाईयों की जॉच के निर्देश जारी किये गये, जिसके कम में दिनांक–13.12.2019, 16.12.2019 तथा 17.12.2019 को सभी 13 इकाईयों का निरीक्षण किया गया और उसके फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराये गये हैं, आख्या मूल रूप में संलग्न की जा रही है।

जॉच के समय 03 इकाईयों मेसर्स–सुभाष चन्द्र माइन्स, लेदर बिहरिया, शंकरगढ़, प्रयागराज, मेसर्स–मोदी मिनरल्स उद्योग बिहरिया, शंकरगढ़, प्रयागराज तथा मेसर्स–इलाहाबाद सैण्ड्स प्रोपराइटर रोहित वार्ष्णेय, बरगड़ी, शंकरगढ़, प्रयागराज पर कमशः 16,17 तथा 02 कर्मचारी उपस्थित पाये गये। मेसर्स–मोदी मिनरल्स उद्योग तथा मेसर्स–इलाहाबाद सैण्ड्स प्रोपराइटर रोहित वार्ष्णेय, बरगड़ी, शंकरगढ़, प्रयागराज द्वारा अपने कर्मचारियों को कोई भी सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि मेसर्स–सुभाष चन्द्र माइन्स में श्रमिकों के पास सुरक्षा उपकरण यथा–जूते, ग्लब्स, मास्क, हेलमेट पाये गये। तीनों इकाईयों द्वारा अपने श्रमिकों को उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाता नहीं पाया गया। साथ ही उन्हें अभी भी नकद वेतन दिया जाता है, जबकि बैंक खाते के माध्यम से वेतन भुगतान के आदेश लागू किये गये हैं। उक्त उल्लंघन के लिए सेवायोजकों के विरूद्ध सुसंगत अधिनियमों में नियमानुसार कार्यवाही की जा

रही है। सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने के लिए सेवायोजकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त नियोजित श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा तथा भविष्य निधि का लाभ दिया जाता है अथवा नहीं, के सम्बन्ध में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं निदेशक, राज्य कर्मचारी बीमा निगम से पत्राचार कर सूचनाएं मंगायी जा रही हैं।

इस अनुपालन आख्या के साथ जॉच टीम द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या तथा फोटोग्राफ्स आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है।

(राकेश द्विवेदी)
उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0
प्रयागराज क्षेत्र प्रयागराज।

ANNEXURE-07

दूरभाष / **Ph. :** 0532–2569727

क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
REGIONAL OFFICE U. P. POLLUTION CONTROL BOARD

आवास विकास परिषद कालोनी, सेक्टर–10, योजना संख्या–3, झूँसी, प्रयागराज – 221506

Avas Vikas Parishad Colony, Sector-10, Scheme No. 3, Jhunsi, Prayagraj

ई–मेल roallahabad@uppcb.com

संदर्भ सं0 जी0 2310 / ओ.ए.नं. 186 / 19 / 2019 — दिनांक 17.12.2019

सेवा में,

मण्डलायुक्त महोदय,
प्रयागराज मण्डल,
प्रयागराज।

विषयः **माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0 186 / 2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 25.09.2019 के अनुपालन के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भ ग्रहण करने की कृपा करें। माननीय एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 सं0186 / 2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 25.09.2019 के अनुपालन के सादर अवगत कराना है कि जनपद प्रयागराज में शंकरगढ़ क्षेत्र स्थित किसी भी सिलिका वाशिंग इकाई को केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण की अनुमति एवं खनन विभाग की अनुमति के बिना अग्रिम आदेशों तक सहमति आदेश निर्गत नहीं किया जायेगा।

सूचनार्थ सादर प्रेषित!

भवदीय,

(जे0 बी0 सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, प्रयागराज।
2. सदस्य सचिव महोदय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), प्रयागराज।
4. मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त–2, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
5. मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भारत सरकार, भू जल भवन, सेक्टर बी सीतापुर रोड योजना, अलीगंज, लखनऊ।
7. आफीसर इन्चार्ज, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, भारत सरकार, राज्य एकक कार्यालय, 276, चकिया, कौशाम्बी रोड, प्रयागराज।
8. ज्येष्ठ खान अधिकारी, खनन विभाग, प्रयागराज।

क्षेत्रीय अधिकारी

ANNEXURE - 8

प्रेषक,

ज्येष्ठ खान अधिकारी(भूवैज्ञानिक),
प्रयागराज,

सेवा में,

अपर आयुक्त(प्रथम),
प्रयागराज मण्डल,
प्रयागराज।

पत्र संख्या– 1582 /खनिज/2019–20, दिनाँक 16 दिसम्बर, 2019

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या–743/11/एन0जी0टी0–2019–20 दिनाँक 14.12.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ओ0ए0 नम्बर–186/2019 जागृति संस्थान बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनाँक 25.09.2019 के अनुपालन में दिनाँक 12.12.2019 को मण्डलायुक्त, प्रयागराज की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें खनन विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर आख्या निम्नवत् है:–

बिन्दु संख्या–6

जिन सिलिका वॉशिंग इकाइयों पर 100 घनमीटर से कम सिलिका भण्डारित है, उन्हें भण्डारण अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं है, परन्तु इन इकाइयों का निरीक्षण करके यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वहाँ पर अवैध सिलिका प्लाण्ट तो नहीं संचालित हो रहे हैं।

अनुपालनः

उ0प्र0 खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2018 के नियम–6 के अनुसार फुटकर विक्रेताओं जो अधिकतम 100 क्यूबिक मीटर तक खनिज की मात्रा भण्डारित कर सकते हैं, को सरकार द्वारा यथाविहित प्रयोजनार्थ विकसित किये गये वेब पोर्टल पर ऑन लाइन दर्ज करना होगा। साथ ही साथ संबंधित जिला के खान अधिकारी को प्रपत्र–घ में त्रैमासिक विवरणी दाखिल करनी होगी। उ0प्र0 खनिज(अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण)(प्रथम संशोधन) नियमावली, 2019, दिनाँक 09.03.2019 द्वारा प्रदेश के स्टोन क्रेशर उद्योग एवं अन्य खनिज आधारित उद्योगों के भी भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किया जाना प्राविधानित है। जनपद में किसी भी व्यक्ति के पक्ष में भण्डारण अनुज्ञप्ति स्वीकृत नहीं है। 70 सिलिका वॉशिंग प्लाण्ट इकाइयॉं, जो बंद कराये गये हैं, उनका निरीक्षण दिनांक–15.12.2019 व 16.12.2019 को किया गया, सिलिका वाशिंग प्लाण्ट स्थलों पर 100 घनमीटर से अधिक सिलिका सैण्ड कहीं पर भण्डारित नहीं है तथा वहाँ पर अवैध सिलिका प्लाण्ट का संचालन नहीं हो रहा है। क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रयागराज द्वारा जिन 13 इकाइयों को सहमति प्रदान की गयी है, यदि उन इकाईयों पर 100 घनमीटर से अधिक भण्डारण पाया जाता है तो भण्डारण नियमावली–2019 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतः अनुपालन आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।

16/12/19 16/12/19

खान निरीक्षक,
प्रयागराज।

ज्येष्ठ खान अधिकारी(भूवैज्ञानिक),
प्रयागराज।

पत्र संख्या– /खनिज/2019–20, तद्दिनाँक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी प्रयागराज।
2– अपर जिलाधिकारी(प्रशासन), प्रयागराज।

खान निरीक्षक,
प्रयागराज।

ज्येष्ठ खान अधिकारी(भूवैज्ञानिक),
प्रयागराज।